23/5/17

समाहरणालय समस्तीपुर (जिला भू–अर्जन कार्यालय)

ज्ञापांक......................./भू–अ0 दिनांक ....

ई मेल : dlaosmp@gmail.com

—:आदेश:—

परियोजना राज्य उच्च पथ सं0–88 वरूणापुल से रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु समस्तीपुर जिला अन्तर्गत ग्राम–भगवानपुर चकशेखू, थाना नं0–65, अंचल–दलसिंहसराय, में अर्जन की जानेवाली भूमि का नई भू–अर्जन अधिनियम 2013 के आलोक में सामाजिक प्रभाव आकलन का ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 07 के तहत गठित विशेषज्ञ समूह का अधिसूचना ज्ञापांक 362/भू–अ0 दिनांक 07.04.2017 के आलोक में (सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन) विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किया गया अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 07 के उपधारा 06 के अधीन निर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित किया जाना है। विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये गये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न है।

संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में नगर पंचायंत/पंचायत/ग्राम कचहरी एवं निर्दिष्ट स्थल में प्रकाशित करेंगे तथा समुचित सरकार के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

ह0/–

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 516 / दिनांक 22.05.17 /

प्रतिलिपि : संबंधित विशेषज्ञ समूह के सदस्यों/अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सह अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक (तक0) बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर/आई0 टी0 मैनेजर, आई0 टी0 कोषांग समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक भू–अर्जन निदेशालय बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/5/17

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

परियोजना

राज्य उच्च पथ सं0—88, (बरूणापुल NH-103 से रसियारी) पथ, के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य के तहत् भू—अर्जन के प्रस्ताव पर समाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये गए अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन।

विशेषज्ञ समूह के स्थल निरीक्षण एवं कार्यवाही का प्रतिवेदनः—

वर्तमान परियोजना—राज्य उच्च पथ सं0—88 (वरूणापुल—रसियारी) कुल लम्बाई 120.354 कि0 मी0 पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य के लिए समस्तीपुर जिलान्तर्गत दो राजस्व ग्राम—भगवानपुर चकसेखु और सिंघिया बुजुर्ग चादर नं0—2 में प्रस्तावित ROB के निर्माण कार्य के लिए वांछित भूमि का अर्जन के लिए अधियाचना भू—अर्जन कार्यालय समस्तीपुर में समर्पित किया है। वांछित भूमि का अर्जन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR Act. 2013) के तहत् किया जाना है।

उपरोक्त भूमि अर्जन के अधियाचना के क्रम में अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के तहत् समाहर्त्ता, समस्तीपुर के अनुरोध पर ए0एन0 सिन्हा, समाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा समाजिक प्रभाव आकलन किया गया जिसका विस्तृत प्रतिवेदन उक्त संस्थान के द्वारा समाहर्त्ता, समस्तीपुर को मार्च—2017 में समर्पित किया गया। संस्थान के अंतिम प्रतिवेदन में बताया गया है कि राजस्व ग्राम— सिंघिया बुजुर्ग में इस परियोजना से अधिक प्रतिकूल समाजिक प्रभाव पड़ने के कारण इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित नही किया जा सकता है और कोई अन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। जबकि राजस्व ग्राम—भगवानपुर चकसेखु में प्रतिकूल समाजिक प्रभाव को समाजिक प्रभाव शमन योजना (SIMP) से कम कर उचित भूमि का मुआवजा देकर इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है।

संस्थान के उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन करने एवं स्थल पर सत्यापन करने से स्पस्ट होता है कि संस्थान के द्वारा अर्जनाधीन मौजों में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की बातो को समुचित रूप से सुना गया है, एवं सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र के भौगोलिक, समाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। ए0एन0 सिन्हा समाजिक संस्थान, पटना के प्रतिवेदन के आधार पर इस परियोजना में प्रस्तावित दो ROB के निर्माण के लिए क्रमशः भगवानपुर चकसेखु एवं सिंघिया बुजुर्ग चादर नं0—2 में से मात्र भगवानपुर चकसेखु मौजा में संबंधित कार्य के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता है।

परियोजना की आवश्यकता

यह परियोजना उत्तर बिहार के दो जिलों समस्तीपुर एवं दरभंगा को जोड़ती है जिसकी कुल लम्बाई—120.354 कि0मी0 है। यह सड़क समस्तीपुर जिला के बरूणापुल से शुरू होकर दरभंगा जिला के रसियारी गाँव तक आकर समाप्त हो जाती है। वर्तमान में दरभंगा जिला के रसियारी गाँव तक जाने के लिए वरूणापुल से समस्तीपुर एवं समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए रसियारी जाना पड़ता है, जिसकी लम्बाई निर्माणाधीन सड़क की लम्बाई से सवा गुणा है, जिसको तय करने में काफी समय व धन लगता है। इस परियोजना को पूर्ण होने से आम लोगों को रसियारी तक जाने के लिए कम दूरी कम समय में तय किया जा सकता है। फलस्वरूप आम लोगों को काफी समय की व आर्थिक बचत होगी, तथा यह परियोजना समस्तीपुर व दरभंगा जिले के मुख्य प्रमण्डल दलसिंहसराय, रोसड़ा, बेनीपुर एवं बिरौल क्षेत्र के लोगों को पटना, समस्तीपुर एवं दरभंगा आदि मुख्य शहरों मे आने जाने में आसानी होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत भगवानपुर चकसेखु में प्रस्तावित ROB के निर्माण से आम लोग रेलवे क्रोसिंग आसानी से पार कर सकता है। फलस्वरूप दलसिंहसराय बाजार में जाम की स्थिति से निजात मिलेगा एवं आम जन को काफी फायदा होगा तथा भविष्य मे दुर्घटना में भी कमी आयेगी। इस परियोजना से दलसिंहसराय बाजार के विस्तार के साथ—साथ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, एवं समाजिक सरोकार वगैरह को आधुनिक सुविधाए आसानी से उपलब्ध होगी।

28/4/2017

भगवानपुर चकसेखु के समाजिक प्रभाव आकलन के मुल्यांकन का निष्कर्ष :–

(1) अधियाची विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत भगवानपुर चकसेखु में ROB के निर्माण के लिए कम से कम जमीन अर्जित किया जाए। फलस्वरूप अधियाचित रकवा न्यूनतम 4.93 एकड़ का अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

(2) इस परियोजना के अन्तर्गत भगवानपुर चकसेखु में आबादी के विस्थापन होने की संभावना बहुत कम है।

(3) यह परियोजना क्षेत्र के विकास तथा रोजगार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थय, समाजिक सरोकार वगैरह के लिए मार्ग प्रशस्थ करेगा।

(4) इस परियोजना हेतु भू–अर्जन करने का नाकारात्म पहलू निम्न प्रकार से प्रतिवेदित है–

(i) स्थानिय भौतिक प्राकृतिक संसाधनों पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पर बेहतर संसाधन प्रबंधन किया जाना है।

(ii)एक सरकारी प्राथमिक स्कूल विस्थापित होगा। इस स्कूल को अन्य स्थान पर पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता होगी।

(iii) भूमि अधिग्रहण के कारण गरीब तथा अशिक्षित लोगो को स्थिति आगे और खराब हो जाएगी। ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा के वितरण में प्राथमिकता देने के साथ विशेषकर मौजुदा विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों से उन्हें लाभान्वित करना होगा तथा निम्न आय व विपन्न प्रभावित व्यक्तियों का विशेष ध्यान देना होगा।

(iv) आय, रहन–सहन के स्तर तथा खाद्य सुरक्षा पर नाकारात्म प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में बेहतर शिक्षा, कौशल विकास सुनिश्चित करने के साथ जन वितरण प्रणाली से भी लाभान्वित किया जा सकता है।

(iv) भूमि तथा मुआवजे से संबंधित उच्च जाति के लोग निचली जाति के लोग को परेशान करेंगें। इस संबंध में विशेषज्ञ समूह के स्थल निरीक्षण एवं कार्यवाही के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

(5) अधिकतम प्रभावित परिवारों को भूमि की उत्पादकता में कमी होगी। इस संबंध में शेष बची भूमि के विकास के साथ–साथ उचित सिचाई एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा।

(6) ROB के निर्माण के बाद स्थानीय लोगों को आने जाने में कठिनाई होगी। इसलिए ROB के दोनों तरफ सर्विस रोड निर्माण कराना अनिवार्य होगा।

अनुशंसा:

लोक प्रयोजन के अन्तर्गत परियोजना–राज्य उच्च पथ सं0–88 (वरूणापुल–रसियारी), कुल लम्बाई-120.354 कि0मी0 पथ के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु राजस्व ग्राम–भगवानपुर चकसेखु में भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर किए गए समाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के पश्चात विशेषज्ञों की राय है कि भगवानपुर चकसेखु में समाजिक मूल्य (Social Cost) कम है तथा समाजिक लाभ (Social Benefit) ज्यादा है। इसलिए भगवानपुर चकसेखु में परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की उचित प्रतिकार (मुआवजा) का भुगतान करते हुए भू–अर्जन किया जा सकता है।

28/4/17

श्री सिकन्दर पासवान,
प्रबंधक (तक0), परियोजना कार्यान्वयन
इकाई, समस्तीपुर,
सदस्य।

कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
भवन प्रमंडल, समस्तीपुर,
सदस्य।

श्री संग्राम सिंह,
स्नातकोत्तर कला विशारद
(समाज विज्ञान),
सदस्य विशेषज्ञ समूह।

श्री प्रभाकर कुमार सिंह,
समाज कार्य निष्णात,
सदस्य विशेषज्ञ समूह।

श्री सुरेन्द्र पासवान,
उप मुख्य पार्षद–सह–वार्ड
पार्षद, वार्ड नं0–13
सदस्य।

श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी,
वार्ड पार्षद, वार्ड नं0–10 सदस्य।

श्री शिवरत्न प्रसाद सिंह,
उप महाप्रबंधक (तक0)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, समस्तीपुर।
अध्यक्ष–सह–संयोजक
विशेषज्ञ समूह

विशेष समूह के स्थल निरीक्षण में उपस्थिति :—

क्रमांक	समूह के सदस्यों का नाम	अध्यक्ष / सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्री शिवरत्न प्रसाद सिंह, उप महाप्रबंधक (तक0) परियोजना कार्यानवयन इकाई, समस्तीपुर।	अध्यक्ष—सह—संयोजक	[illegible]
2	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर।	सदस्य	[illegible]
3	श्री सिकन्दर पासवान, प्रबंधक (तक0) परियोजना कार्यानवयन इकाई, समस्तीपुर।	सदस्य	Sicandar Paswan 28/4/17
4	श्री संग्राम सिंह, स्नात्तकोत्तर कला विशारद (समाज विज्ञान)	सदस्य	[illegible]
5	श्री प्रभाकर कुमार सिंह, कार्य निष्णात	सदस्य	[illegible]
6	श्री सुरेन्द्र पासवान, उप मुख्य पार्षद—सह—वार्ड पार्षद, वार्ड नं0—13	सदस्य	सुरेन्द्र पासवान 28/4/17
7	श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0—10	सदस्य	[illegible] 28/4/17